

[2015) 8 एस. सी. आर. 445

केन्द्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्त,

आयुक्त दिल्ली-III, गुडगांव

बनाम

मेसर्स कैप कॉन्स, उद्योग विहार, फेज-5, गुडगांव

(सिविल अपील संख्या 5432/2015)

जुलाई 20,2015

[दीपक मिश्रा और प्रफुल्ल सी. पंत, जेजे.]

केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944-धारा 35 ई (4)-विलंब को माफ करने के लिए न्यायाधिकरण की शक्तियां-तथ्यों पर, आयुक्त ने समीक्षा के आदेश के संचार के एक महीने के भीतर न्यायाधिकरण के समक्ष सेक्शन 35-E(4) के तहत एक आवेदन दायर किया। 8 दिनों की देरी की माफी के लिए भी आवेदन दायर किया गया-कहा गया देरी मुख्य आयुक्तों की समिति द्वारा आयुक्त के आदेश की समीक्षा में हुई क्योंकि समीक्षा प्राधिकरण को आयुक्त का आदेश प्राप्त होने के तीन दिन बाद इसकी घोषणा और समीक्षा आदेश जो संचार की तारीख से तीन महीने के भीतर पारित

किया जाना था, अवधि समाप्त होने के आठ दिनों के बाद पारित किया गया था-न्यायाधिकरण ने कहा कि वह देरी को माफ नहीं कर सकता है- उच्च न्यायालय ने उक्त आदेश को बरकरार रखा-अपील पर, अभिनिर्धारित किया: न्यायाधिकरण की पूर्ण पीठ द्वारा सीसीई बनाम मोनेट इस्पात एंड एनर्जी लिमिटेड में किए गए विश्लेषण में कहा गया कि न्यायाधिकरण के पास सेक्शन 35-E(4) के तहत दायर की गई अपील सहित अपील दायर करने में देरी को माफ करने के लिए पर्याप्त शक्ति है - आक्षेपित आदेश द्वारा लंबित मुकदमे का निर्णय लेने वाले सदस्यों को खुद को पूर्ण पीठ के फैसले से अवगत रखना चाहिए था-मामले को योग्यता पर देरी की माफी के लिए आवेदन पर विचार करने के लिए न्यायाधिकरण को वापस भेज दिया जाता है।

अपील को स्वीकार करते हुए, न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया: न्यायाधिकरण-सी. सी. ई. बनाम मोनेट इस्पात एंड एनर्जी लिमिटेड की पूर्ण पीठ द्वारा किया गया विश्लेषण इस राय को देखते हुए सही है कि "न्यायाधिकरण के पास केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944 की धारा 35 ई (4) के तहत दायर अपील सहित अपील दायर करने में देरी को माफ करने की पर्याप्त शक्ति है। उक्त अधिनियम की धारा 35 ई (4) के तहत अपील दायर करने के संबंध में जिस अवधि को माफ किया जा सकता है, उसमें उक्त अधिनियम की धारा 35 ई (1) या 35 ई (2) के संदर्भ में

समीक्षा समिति द्वारा ली गई अवधि शामिल होगी। जहां तक धारा 35 ई (4) के संदर्भ में विभाग द्वारा की गई अपीलों का संबंध है, वे उक्त धारा की उप-धारा (1) या उप-धारा (2) के तहत आदेश के संचार की तारीख से एक महीने के भीतर दायर की जानी चाहिए, लेकिन न्यायनिर्णायक प्राधिकारी द्वारा समीक्षा समिति को आदेश के संचार की तारीख से चार महीने से अधिक नहीं होनी चाहिए। यदि इस संबंध में कोई देरी होती है, तो धारा 358 (5) के तहत शक्तियों के प्रयोग में इसे माफ किया जा सकता है, इस तरह की देरी के लिए पर्याप्त कारण के बारे में संतुष्ट होने पर और देरी को माफ करने की शक्ति में धारा 35 ई (1) या (2) के तहत समीक्षा समिति द्वारा अपील दायर करने के बारे में निर्णय लेने के लिए ली गई अवधि शामिल होगी। उक्त दृष्टिकोण सही है। विवादित आदेश द्वारा इस पर निर्णय लेने वाले सदस्यों को न्यायाधिकरण के पूर्ण पीठ के फैसले से खुद को अवगत रखना चाहिए था ताकि एक ही प्रस्ताव के संबंध में दो विचार न हों। न्यायाधिकरण द्वारा पारित आदेश को दरकिनार कर दिया जाता है और मामले को अपने गुण-दोष के आधार पर देरी को माफ करने के आवेदन पर विचार करने के लिए उसे भेज दिया जाता है। [पैरा 27,28,29] [465-सी-एच; 466-बी-सी]

सीमा शुल्क और केंद्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्त बनाम होंगो इंडिया प्राइवेट लिमिटेड और अन्य (2009) 5 एस. सी. सी. 791-विशिष्ट। सी. सी.

ई. बनाम मोनेट इस्पात एंड एनर्जी लिमिटेड 2010 (257) ई. एल. टी. 239 (ट्राई-नई दिल्ली) (एल. बी.); केंद्रीय उत्पाद शुल्क बनाम एम. एम. रबर कं. ए 1991 (55) ई. एल. टी. 289; सी. सी. ई. बनाम भिल्लई वायर्स लिमिटेड 2009 (236) ई. एल. टी. 40; सी. सी. ई. बनाम एम. एम. रबर कं. 1991 (55) ई. एल. टी. 289 (एस. सी.) संदर्भित।

मामला विधि संदर्भ

2010 (257) ई. एल. टी. 239 पैरा 4 संदर्भित

1991 (55) ई. एल. टी. 289 पैरा 5 संदर्भित

2009 (236) ई. एल. टी. 40 पैरा 5 संदर्भित

1991 (55) ई. एल. टी. 289 (एस. सी.) पैरा 6 संदर्भित

(2009) 5 एससीसी 791 पैरा 26 निर्दिष्ट

सिविल अपीलीय क्षेत्राधिकार : सिविल अपील सं. 5432/2015

चंडीगढ़ में पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय की 2013 की केंद्रीय उत्पाद शुल्क अपील संख्या 69 (ओ एंड एम) में दिनांकित 22.08.2013 के निर्णय और आदेश से।

अपीलार्थी की ओर से पी. एस. पटवालिया, ए. एस. जी., जे. स्मिता राव, तुषार बखशी और बी. कृष्ण प्रसाद।

डॉ. जी. के. प्रतिवादी के लिए सरकार, मालबिका सरकार, सुष्मिता लाल और प्रशांत कुमार।

न्यायालय का निर्णय इनके द्वारा दिया गया था

दीपक मिश्रा,जे.

1. अनुमति दी गयी।

2. प्रतिवादी, एक स्वामित्व वाली संस्था है जिसके दो कारखाने हैं; एक 449 ए, उद्योग विहार, फेज-5, गुडगांव में स्थित है और दूसरा प्लॉट नं 29, सेकोट-5, आई. एम. टी. मानेसर, गुडगांव, आइसक्रीम शंकु और शंकु बिस्कुट को लपेटने के लिए पेपर शंकु के निर्माण में लगा हुआ है और उक्त वस्तुएं केंद्रीय उत्पाद शुल्क के लिए प्रभार्य हैं। इनपुट इयूटी क्रेडिट, कैपिटल गुड्स इयूटी क्रेडिट दाखिल करने और तैयार उत्पाद को गुप्त रूप से हटाने के लिए फर्म के खिलाफ एक कार्यवाही शुरू की गई थी। 15.7.2011 को, आयुक्त ने मामले का निर्णय लिया और लिए गए सेनवाट क्रेडिट को अस्वीकार कर दिया और केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944 (संक्षिप्तता के लिए, "अधिनियम") की धारा 11 ए (1) के प्रावधान के तहत विस्तारित अवधि का आह्वान करते हुए कार्यवाही शुरू होने के समय कारण दर्शाएँ नोटिस में बताए गए अनुसार मांग की पुष्टि की और जब्त किए गए सामान को अधिहरण करने का निर्देश दिया। न्यायनिर्णायक प्राधिकारी ने,

जैसा कि तथ्यात्मक मैट्रिक्स अप्रमाणित होगा, सेनवाट क्रेडिट नियम, 2004 के नियम 15 के तहत शक्ति का प्रयोग करते हुए फर्म के मालिक पर Rs.50 लाख का जुर्माना लगाया। न्यायनिर्णायक आयुक्त द्वारा पारित आदेश संबंधित क्षेत्राधिकार वाले मुख्य आयुक्त द्वारा 18.7.2011 पर प्राप्त किया गया था। उक्त आदेश की प्राप्ति के बाद, मुख्य आयुक्तों की समिति ने इसकी समीक्षा की और यह राय व्यक्त की कि आयुक्त द्वारा लिया गया निर्णय गलत था क्योंकि उन्होंने धारा 11ए (1) के तहत जुर्माना नहीं लगाया था जो कि लागू करने योग्य था; और यह कि आयुक्त ने केंद्रीय उत्पाद शुल्क नियम, 2006 के नियम 26 के तहत प्रतिवादी फर्म के प्रबंधक और लेखा प्रबंधक पर जुर्माना लगाने की अनदेखी की थी, जो मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में आवश्यक था। समीक्षा आदेश सं 35/2011 को अधिनियम की धारा 35-ई (1) के तहत 25.10.2011 को जारी किया गया था और आयुक्त को सही निर्धारण के लिए धारा 35-ई (4) के तहत सीमा शुल्क और सेवा कर अपीलीय न्यायाधिकरण (संक्षेप में, न्यायाधिकरण) के समक्ष उचित आवेदन दायर करने का निर्देश जारी किया गया था। समिति द्वारा पारित आदेश आयुक्त को 31.10.2011 पर प्राप्त हुआ।

3. मुख्य आयुक्तों की समिति द्वारा पारित आदेश के अनुसार, आयुक्त ने समीक्षा के आदेश के संचार की तारीख से एक महीने के भीतर धारा 35-ई (4) के तहत न्यायाधिकरण के समक्ष 16.11.2011 पर एक आवेदन

दायर किया। यह ध्यान दिया जाए कि धारा 35-ई (4) के तहत दायर एक आवेदन के साथ, मुख्य आयुक्तों की समिति द्वारा आयुक्त के आदेश की समीक्षा में हुई 8 दिनों की देरी को माफ करने के लिए एक आवेदन दायर किया गया था, क्योंकि आयुक्त का आदेश समीक्षा प्राधिकरण को 18.7.2011 पर प्राप्त हुआ था और समीक्षा आदेश जो संचार की तारीख से तीन महीने के भीतर पारित किया जाना आवश्यक था, अवधि समाप्त होने के आठ दिनों के बाद पारित किया गया था।

4. न्यायाधिकरण के समक्ष राजस्व द्वारा यह तर्क दिया गया था कि मुख्य आयुक्तों की समिति द्वारा धारा 35-ई (1) के तहत समीक्षा आदेश जारी करने में आठ दिनों की देरी का वास्तविक कारण था और किसी भी मामले में, जब मूल रूप से आदेश प्राप्त होने के चार महीने की अवधि के भीतर अपील दायर की गई थी, यानी मुख्य आयुक्तों की समिति द्वारा धारा 35-ई (1) के तहत समीक्षा आदेश जारी करने में देरी को माफ किया जाना चाहिए। रिलायंस को सी. सी. ई. बनाम मोनेट इस्पात एंड एनर्जी लिमिटेड में दिए गए न्यायाधिकरण के पूर्ण पीठ के निर्णय पर रखा गया था।

5. निर्धारिती की ओर से यह आग्रह किया गया कि प्राधिकरण की समीक्षा के लिए निर्धारित सीमा की अवधि, न्यायाधिकरण को अपील दायर करने के आदेश के निर्णय के संबंध में आयुक्त को निर्देश जारी करने के लिए मुख्य आयुक्त की समिति आदेश के संचार की तारीख से तीन महीने

की थी और इस बात पर कोई विवाद नहीं था कि आक्षेपित आदेश 18.7.2011 पर प्राप्त हुआ था और समीक्षा आदेश तीन महीने की समाप्ति के बाद, यानी 25.10.2011 को जारी किया गया था और इसलिए, केंद्रीय उत्पाद शुल्क बनाम एम एम रबर कंपनी में निर्धारित सिद्धांत के अनुसार देरी को माफ नहीं किया जा सकता था। हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय द्वारा सी. सी. ई. बनाम भिल्लई वायर्स लिमिटेड में निर्दिष्ट निर्णय पर भी रबर कंपनी की निर्भरता को मजबूत करने के लिए रखा गया था।

6. न्यायाधिकरण ने अधिनियम की धारा 35-ई का उल्लेख किया और उक्त प्रावधान की व्याख्या करते हुए कहा कि धारा 35-ई की उप-धारा (4) के संदर्भ में न्यायाधिकरण या आयुक्त (अपील) के समक्ष अपील दायर करने के लिए संबंधित समीक्षा प्राधिकरण द्वारा धारा 35-ई (1) या 35 ई (3) के तहत पारित आदेश अनिवार्य है। न्यायाधिकरण ने राय दी कि धारा 35-ई (1) या 35 (2) के तहत जारी समीक्षा आदेश के आधार पर न्यायाधिकरण के समक्ष आवेदन दायर करने का काम समीक्षा आदेश के संचार की तारीख से एक महीने की अवधि के भीतर पूरा किया जाना चाहिए और इस आधार पर यह सवाल उठाया गया कि क्या पहले आदेश को पूरा करने में देरी, जो कि आदेश जारी करने का मुद्दा है, मुख्य आयुक्त की समिति या आयुक्त को 35 (2) की धारा 35 ई (1) के तहत, जिसे तीन महीने की अवधि के भीतर पूरा किया जाना है, उसके द्वारा माफ किया जा

सकता है। इसने सी. सी. ई. बनाम एम. एम. रबर कंपनी में विशेष रूप से पैराग्राफ 18 में निर्णय का उल्लेख किया और निम्नलिखित रूप में आयोजित किया: -

"इस प्रकार, इस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया है कि धारा 35 ई के तहत शक्ति एक वरिष्ठ प्राधिकारी को यह सुनिश्चित करने के लिए प्रदत्त अधीक्षण की शक्ति है कि अधीनस्थ अधिकारी अधिनियम के तहत अपनी शक्तियों का सही और ठीक से प्रयोग करें और जब इस शक्ति के प्रयोग के लिए एक समय सीमा निर्धारित की जाती है, तो इसका उपयोग समय-सीमा के भीतर किया जाता है और धारा 35 ई (3) के तहत निर्धारित अवधि से आगे पारित आदेश अमान्य और अप्रभावी होगा। जब सीमा अवधि की समाप्ति के बाद समीक्षा प्राधिकरण द्वारा पारित कोई आदेश अमान्य और अप्रभावी होता है और चूंकि ऐसा आदेश न्यायाधिकरण के समक्ष अपील दायर करने के लिए एक पूर्व शर्त है, तो देरी को माफ करने का कोई सवाल ही नहीं है। भिल्लई वायर्स लिमिटेड (उपरोक्त) के मामले में माननीय हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय द्वारा भी यही दृष्टिकोण अपनाया गया है। मोनेट इस्पात एंड एनर्जी लिमिटेड (उपरोक्त) के मामले में न्यायाधिकरण का निर्णय एम. एम. रबर कंपनी (उपर्युक्त) के मामले में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अपने फैसले में निर्धारित

कानून के विपरीत है, जिसके बाद भिल्लै वायर्स लिमिटेड (उपर्युक्त) के मामले में माननीय हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय ने निर्णय दिया है।

उपरोक्त तर्क के अलावा न्यायाधिकरण ने एक और कारण बताया कि वह अपील के रूप में दायर करने में देरी को माफ नहीं कर सकता है क्योंकि उसका कर्तव्य है कि वह धारा 35 ई (4) के तहत आयुक्त द्वारा दायर आवेदन को स्वीकार करने से पहले देखे क्योंकि आयुक्त के आदेश के खिलाफ अपील धारा 35 ई (1) के तहत मुख्य आयुक्त द्वारा पारित वैध आदेश द्वारा समर्थित है। न्यायाधिकरण ने इस प्रकार अभिनिर्धारित किया कि जब प्राधिकरण की समीक्षा के लिए कानून द्वारा एक समय सीमा निर्धारित की जाती है, अर्थात्, अधीक्षण की अपनी शक्ति का प्रयोग करने के लिए मुख्य आयुक्तों की समिति और यदि उक्त प्राधिकरण सीमा की अवधि समाप्त होने के बाद उक्त प्रावधान के तहत एक आदेश जारी करता है तो यह एक अमान्य और अप्रभावी आदेश होगा और न्यायाधिकरण के पास इस तरह के अमान्य और अप्रभावी आदेश को मान्य करने और पुनर्जीवित करने की कोई शक्ति नहीं है।

7. उपरोक्त आदेश से असंतुष्ट होने के कारण समीक्षा ने चंडीगढ़ में पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के समक्ष 2013 (ओ एंड एम) की आबकारी अपील संख्या 69 को प्राथमिकता दी। उच्च न्यायालय ने

न्यायाधिकरण के फैसले के पैराग्राफ 10 और 11 को संदर्भित तथ्यों को गिनने के बाद इस प्रकार राय दी: -

"अधिनियम की धारा 35 (ई) (i) और (ii) के प्रासंगिक वैधानिक प्रावधानों पर उचित विचार करने से पता चलता है कि न्यायाधिकरण के पास मुख्य आयुक्त की समिति द्वारा पारित आदेश में देरी को माफ करने का कोई अधिकार क्षेत्र नहीं है, जिसमें आयुक्त को अपील दायर करने के लिए कहा गया है। देरी को माफ करने की शक्ति आवेदन दाखिल करने से संबंधित है।

इस दृष्टिकोण के कारण, उच्च न्यायालय ने न्यायाधिकरण द्वारा व्यक्त किए गए विचार की पुष्टि की है और अपील को खारिज कर दिया है। इसलिए, विशेष अनुमति द्वारा वर्तमान अपील।

8. हमने श्री पी. एस. पटवालिया, लर्नड एडिशनल सॉलिसिटर जनरल फॉर यूनियन ऑफ इंडिया और डॉ. जी. के. सरकार, प्रतिवादी के लिए विद्वान वकील को सुना है।

9. शुरुआत में यह कहना आवश्यक है कि तथ्यात्मक परिदृश्य पर कोई संदेह नहीं है। इसलिए, हमें केवल वैधानिक पृष्ठभूमि में जांच करने की आवश्यकता है और समय-समय पर किए जाने वाले संशोधनों और एम. एम. रबर (उपरोक्त) में प्राधिकरण में बताए गए प्रस्ताव के संबंध में जांच

करने की आवश्यकता है कि क्या न्यायाधिकरण को ऐसी परिस्थिति में देरी को माफ करने का अधिकार क्षेत्र है। हमें देरी की क्षमा के लिए आवेदन में बताए गए कारण की देरी और पर्याप्तता की सीमा को संबोधित करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि केंद्र-पक्षीय मुद्दा जो एकलता में विचार के लिए उत्पन्न हुआ है, वह यह है कि क्या न्यायाधिकरण के पास देरी को माफ करने का अधिकार क्षेत्र या अधिकार है।

10. विवाद को समझने के लिए, पहले हम अधिनियम की धारा 358 और 35ई के विधायी इतिहास का उल्लेख करेंगे। हम केवल वित्त अधिनियम, 1984 से पहले मौजूद प्रावधानों और उसके बाद समय-समय पर प्रभावी किए गए संशोधनों पर ध्यान देंगे और इस संदर्भ में हम संबंधित उप-धाराओं को पुनः प्रस्तुत करेंगे। वित्त अधिनियम, 1984 से पहले 358 की प्रासंगिक उप-धारा 3 से 5 को निम्नानुसार पढ़ा जाता था:-

"(3) इस धारा के तहत प्रत्येक अपील उस तारीख से तीन महीने के भीतर दायर की जाएगी जिस दिन आदेश केंद्रीय उत्पाद शुल्क के कलेक्टर या अपील को प्राथमिकता देने वाले दूसरे पक्ष को सूचित किया जाता है, जैसा भी मामला हो।

(4) यह सूचना मिलने पर कि इस धारा के तहत अपील की गई है, वह पक्ष जिसके खिलाफ अपील की गई है, इस बात के बावजूद कि उसने ऐसे आदेश या उसके किसी हिस्से के खिलाफ अपील नहीं की है, नोटिस

प्राप्त होने के पैंतालीस दिनों के भीतर, आदेश के किसी भी हिस्से के खिलाफ निर्धारित तरीके से सत्यापित प्रति-आपत्तियों का ज्ञापन दायर कर सकता है और ऐसे ज्ञापन का अपीलीय न्यायाधिकरण द्वारा निपटान किया जाएगा जैसे कि यह उप-धारा (3) में निर्दिष्ट समय के भीतर प्रस्तुत की गई अपील थी।

(5) अपीलीय न्यायाधिकरण उप-धारा (3) या उप-धारा (4) में निर्दिष्ट सुसंगत अवधि की समाप्ति के बाद अपील स्वीकार कर सकता है या प्रति-आपत्तियों का ज्ञापन दाखिल करने की अनुमति दे सकता है, यदि उसका समाधान हो जाता है कि उस अवधि के भीतर इसे प्रस्तुत नहीं करने का पर्याप्त कारण था।

11. वित्त अधिनियम 1984 से पहले, धारा 35 ई इस प्रकार थी:-

"(1) बोर्ड, अपने स्वयं के प्रस्ताव से, किसी भी कार्यवाही के रिकॉर्ड की मांग और जांच कर सकता है जिसमें केंद्रीय उत्पाद शुल्क के कलेक्टर ने एक न्यायनिर्णायक प्राधिकरण के रूप में इस अधिनियम के तहत कोई निर्णय या आदेश पारित किया है ताकि वह ऐसे किसी निर्णय या आदेश की वैधता या औचित्य के बारे में खुद को संतुष्ट कर सके और आदेश द्वारा, ऐसे कलेक्टर को निर्णय या आदेश से उत्पन्न होने वाले ऐसे बिंदुओं के निर्धारण के लिए अपीलीय न्यायाधिकरण में आवेदन करने का निर्देश दे सके जो बोर्ड द्वारा अपने आदेश में निर्दिष्ट किए जा सकते हैं।

(2) केंद्रीय उत्पाद शुल्क कलेक्टर, अपने प्रस्ताव पर, किसी ऐसी कार्यवाही के अभिलेख की मांग और जांच कर सकता है जिसमें उसके अधीनस्थ किसी न्यायनिर्णायक प्राधिकारी ने किसी ऐसे निर्णय या आदेश की वैधता या औचित्य के बारे में खुद को संतुष्ट करने के उद्देश्य से इस अधिनियम के तहत कोई निर्णय या आदेश पारित किया है और आदेश द्वारा, ऐसे प्राधिकारी को निर्णय या आदेश से उत्पन्न होने वाले ऐसे बिंदुओं के निर्धारण के लिए कलेक्टर (अपील) को आवेदन करने का निर्देश दे सकता है जो केंद्रीय उत्पाद शुल्क कलेक्टर द्वारा अपने आदेश में निर्दिष्ट किए जाएं।

(3) न्यायनिर्णायक प्राधिकारी के निर्णय या आदेश की तारीख से दो वर्ष की समाप्ति के बाद उप-धारा (1) या उप-धारा (2) के तहत कोई आदेश नहीं दिया जाएगा।

(4) जहां उप-धारा (1) या उप-धारा (2) के तहत किसी आदेश के अनुसरण में न्यायनिर्णायक प्राधिकारी या अधिकृत अधिकारी, उप-धारा (1) या उप-धारा (2) के तहत आदेश के संप्रेषण की तारीख से तीन महीने की अवधि के भीतर, अपीलीय न्यायाधिकरण या कलेक्टर (अपील) को आवेदन करता है, तो ऐसे आवेदन की सुनवाई, जैसा भी मामला हो, अपीलीय न्यायाधिकरण या कलेक्टर (अपील) द्वारा की जाएगी, जैसे कि ऐसा आवेदन न्यायनिर्णायक प्राधिकरण के निर्णय या आदेश के खिलाफ की गई

अपील थी और धारा 358 की उप-धारा (4) के प्रावधानों सहित अपीलों के संबंध में इस अधिनियम के प्रावधान, जहां तक हो सके, ऐसे आवेदन पर लागू होंगे।

12. वित्त अधिनियम, 1984 द्वारा किया गया संशोधन एकमात्र परिवर्तन था जो धारा 35 ई की उप-धारा (3) में लाया गया था, जिसके तहत समय सीमा को दो साल से घटाकर एक साल कर दिया गया था और बाकी प्रावधान वही रहे। 1995 में संशोधनों के माध्यम से, धारा 358 में "केंद्रीय उत्पाद शुल्क कलेक्टर" शब्दों को "केंद्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्त" के साथ प्रतिस्थापित किया गया था; जबकि धारा 35 ई में, "कलेक्टर" शब्द को "आयुक्त" के साथ प्रतिस्थापित किया गया था और उप-धारा (1) में "ऐसे कलेक्टर" शब्दों के स्थान पर "आयुक्त या कोई अन्य आयुक्त" शब्द जोड़े गए थे।

13. 2002 के वित्त अधिनियम द्वारा किए गए संशोधन के अनुसार, धारा 35 ई की उप-धारा (3) में परिवर्तन लाए गए थे। संशोधित उप-धारा (3) इस प्रकार है:

"(3) बोर्ड या केंद्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्त, जैसा भी मामला हो, जहां ऐसा करना संभव हो, उप-धारा (1) या उप-धारा (2) के तहत छह महीने की अवधि के भीतर आदेश देगा, लेकिन न्यायनिर्णायक प्राधिकरण के निर्णय या आदेश की तारीख से एक वर्ष की अवधि से अधिक नहीं।

14. इसके बाद वित्त अधिनियम, 2005 के माध्यम से धारा 35 ई में संशोधन लाए गए। "बोर्ड" के स्थान पर, "केंद्रीय उत्पाद शुल्क के मुख्य आयुक्तों की समिति" जोड़ी गई। उप-धारा (2) में, "ऐसे प्राधिकारी" शब्दों को "ऐसे प्राधिकारी या उसके अधीनस्थ किसी केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिकारी" से बदल दिया गया था।

15. केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944 की धारा 35 ई (वित्त अधिनियम, 2008 द्वारा संशोधन के बाद) इस प्रकार है: "(1) केंद्रीय उत्पाद शुल्क के मुख्य आयुक्तों की समिति, अपने स्वयं के प्रस्ताव पर, किसी भी कार्यवाही के रिकॉर्ड की मांग और जांच कर सकती है जिसमें केंद्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्त ने किसी ऐसे निर्णय या आदेश की वैधता या औचित्य के बारे में खुद को संतुष्ट करने के उद्देश्य से इस अधिनियम के तहत कोई निर्णय या आदेश पारित किया है और आदेश द्वारा, ऐसे आयुक्त या किसी अन्य आयुक्त को निर्णय या आदेश से उत्पन्न होने वाले ऐसे बिंदुओं के निर्धारण के लिए अपीलिय न्यायाधिकरण में आवेदन करने का निर्देश दे सकती है जो मुख्य आयुक्तों की समिति द्वारा अपने आदेश में निर्दिष्ट किए जा सकते हैं।

[बशर्ते कि जहां केंद्रीय उत्पाद शुल्क के मुख्य आयुक्तों की समिति केंद्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्त के निर्णय या आदेश की वैधता या औचित्य के बारे में अपनी राय में भिन्न होती है, वह उस बिंदु या बिंदुओं को बताएगी

जिन पर वह भिन्न है और बोर्ड को एक संदर्भ देगी, जो निर्णय या आदेश के तथ्यों पर विचार करने के बाद, यदि यह राय है कि केंद्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्त द्वारा पारित निर्णय या आदेश कानूनी या उचित नहीं है, तो आदेश द्वारा, ऐसे आयुक्त या किसी अन्य आयुक्त को निर्णय या आदेश से उत्पन्न होने वाले ऐसे बिंदुओं के निर्धारण के लिए अपीलीय न्यायाधिकरण में आवेदन करने का निर्देश दे सकता है, जो उसके आदेश में निर्दिष्ट किया जा सकता है।]

(2) केंद्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्त, अपने स्वयं के प्रस्ताव से, किसी ऐसी कार्यवाही के अभिलेख की मांग और जांच कर सकता है जिसमें उसके अधीनस्थ न्यायनिर्णायक प्राधिकारी ने किसी ऐसे निर्णय या आदेश की वैधता या औचित्य के बारे में खुद को संतुष्ट करने के उद्देश्य से इस अधिनियम के तहत कोई निर्णय या आदेश पारित किया है और आदेश द्वारा, ऐसे प्राधिकरण या उसके अधीनस्थ किसी केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिकारी को केंद्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्त द्वारा अपने आदेश में निर्दिष्ट किए गए निर्णय या आदेश से उत्पन्न होने वाले ऐसे बिंदुओं के निर्धारण के लिए आयुक्त (अपील) को आवेदन करने का निर्देश दे सकता है।

(3) यथास्थिति, उप-धारा (1) या उप-धारा (2) के तहत प्रत्येक आदेश, न्यायनिर्णायक प्राधिकारी के निर्णय या आदेश के संचार की तारीख से तीन महीने की अवधि के भीतर किया जाएगा।

(4) जहां उप-धारा (1) या उप-धारा (2) के तहत किसी आदेश के अनुसरण में न्यायनिर्णायक प्राधिकारी या अधिकृत अधिकारी, न्यायनिर्णायक प्राधिकारी को उप-धारा (1) या उप-धारा (2) के तहत आदेश के संचार की तारीख से एक महीने की अवधि के भीतर, अपीलीय न्यायाधिकरण या आयुक्त (अपील) को आवेदन करता है, तो ऐसे आवेदन की सुनवाई, जैसा भी मामला हो, अपीलीय न्यायाधिकरण या आयुक्त (अपील) द्वारा की जाएगी, जैसे कि ऐसा आवेदन न्यायनिर्णायक प्राधिकारी के निर्णय या आदेश के खिलाफ की गई अपील थी और धारा 358 की उप-धारा (4) के प्रावधानों सहित अपीलों के संबंध में इस अधिनियम के प्रावधान, जहां तक हो सके, उन पर लागू होंगे।

16. उक्त अधिनियम द्वारा, उप-धारा (3) और उप-धारा (4) में संशोधन किए गए थे, जिसमें उप-धारा (1) या उप-धारा (2) के तहत आदेश पारित करने की अवधि को निर्णय लेने वाले प्राधिकारी के निर्णय या आदेश के संचार की तारीख से तीन महीने तक सीमित किया गया था और उप-धारा (1) या उप-धारा (2) के तहत आदेश पारित करने के बाद आवेदन करने की अवधि को "तीन महीने" के बजाय "एक महीने" तक कम कर दिया गया था।

17. 2014 के संशोधन के माध्यम से, धारा 35 ई के खंड (3) में प्रावधान जोड़ा गया था जो इस प्रकार है:-

"बशर्ते कि बोर्ड, पर्याप्त कारण दिखाए जाने पर, उक्त अवधि को और तीस दिनों तक बढ़ा सकता है।"

18. यहां यह ध्यान देने योग्य है कि तत्काल मामले में विवाद 2008 के संशोधनों द्वारा नियंत्रित है। हमने 2014 के संशोधन का उल्लेख किया है, क्योंकि उक्त संशोधन द्वारा यह निर्धारित किया गया है कि बोर्ड के पास उप-धारा (1) और (2) के तहत आदेश पारित करने का समय 30 दिनों की अवधि तक बढ़ाने की शक्ति है। हम बाद के चरण में इसके प्रभाव पर प्रकाश डालेंगे।

19. इस मोड़ पर, यह बताना आवश्यक है कि अपीलीय न्यायाधिकरण को उप-धारा 5 के तहत उक्त धारा की उप-धारा 3 में निर्दिष्ट अवधि की समाप्ति के बाद अपील स्वीकार करने की शक्ति प्रदान की गई है। न्यायाधिकरण, जैसा कि पहले कहा गया है, ने फैसला सुनाया है कि उसका कोई अधिकार क्षेत्र नहीं है क्योंकि सक्षम प्राधिकारी ने तीन महीने की अवधि के भीतर आदेश पारित नहीं किया था और उसकी ओर से आठ दिनों की देरी हुई थी। उपरोक्त दृष्टिकोण के लिए, यह एम. एम. रबर (उपरोक्त) में निर्णय पर निर्भर है। उसमें विचार के लिए जो प्रश्न उठा वह यह था कि धारा 35 ई (1) के तहत प्रदान की गई एक वर्ष की अवधि की गणना के उद्देश्य के लिए प्रासंगिक तिथि क्या थी? उक्त मामले में, निर्धारिती द्वारा न्यायाधिकरण के समक्ष यह तर्क दिया गया था कि धारा

35 ई (3) के प्रयोजनों के लिए कलेक्टर (न्यायनिर्णायक प्राधिकारी) के आदेश की प्रासंगिक तिथि को 28 नवंबर, 1984 के रूप में लिया जाना चाहिए, उस तारीख को जब आदेश पारित किया गया था और 21 दिसंबर, 1984 को नहीं जब इसे विभाग द्वारा प्राप्त किया गया था और उस आधार पर अधिनियम की धारा 35 ई (1) के तहत बोर्ड के आदेश को निर्णय लेने वाले प्राधिकरण के निर्णय या आदेश की तारीख से एक वर्ष की अवधि से परे माना जाना चाहिए और इसलिए, अधिनियम की धारा 35 ई (4) के तहत न्यायाधिकरण के समक्ष आवेदन अक्षम था। न्यायाधिकरण ने उक्त तर्क को स्वीकार कर लिया और अभिनिर्धारित किया कि आवेदन विचारणीय नहीं था।

20. इस न्यायालय के समक्ष, राजस्व द्वारा यह तर्क दिया गया था कि कार्यालय में रखी फाइल में केवल एक आदेश लिखना कानून की नजर में कोई आदेश नहीं है और इसलिए, सीमा राजस्व द्वारा आदेश की प्राप्ति की तारीख से ही शुरू होगी। एक निवेदन में यह भी कहा गया कि अधिनियम की धारा 35 ई (3) के तहत निर्देश देने के लिए समय की गणना करने के उद्देश्यों के लिए विभागीय अधिकारियों और निजी उत्तरदाताओं के साथ समान रूप से पीड़ित व्यक्तियों के रूप में व्यवहार किया जाना चाहिए। न्यायालय ने धारा 35 विशेष रूप से धारा 35 ई की शरीर रचना को स्कैन किया और "निर्णय या आदेश की तारीख से" शब्दों

की व्याख्या करने के लिए आगे बढ़े। उस संदर्भ में, न्यायालय ने कई प्राधिकरणों का उल्लेख किया और इस प्रकार कहा:-

"12. अतः यह देखा जा सकता है कि यदि कोई प्राधिकारी किसी शक्ति का प्रयोग करने या पक्षों के अधिकारों को प्रभावित करने वाला कोई कार्य करने के लिए अधिकृत है, तो वह उसके लिए निर्धारित सीमा की अवधि के भीतर उस शक्ति का प्रयोग करेगा। इस तरह के प्राधिकरण का आदेश या निर्णय लागू हो जाता है या सक्रिय हो जाता है या उस तारीख से एक प्रभावी आदेश या निर्णय बन जाता है जब उस पर उसके द्वारा हस्ताक्षर किए जाते हैं। इस तरह के आदेश या निर्णय की तारीख वह तारीख है जिस पर आदेश या निर्णय पारित किया गया था या दिया गया था: अर्थात् जब उसके पास इसे फाड़ने और एक अलग आदेश का मसौदा तैयार करने का कोई अधिकार नहीं होता है और जब उसके पास कोई अधिकार नहीं होता है। आम तौर पर ऐसा तब होता है जब आदेश या निर्णय को सार्वजनिक किया जाता है या किसी रूप में अधिसूचित किया जाता है या जब कहा जा सकता है कि यह उसका हाथ छोड़ गया है। उस पक्ष को आदेश के संचार की तारीख, जिसके अधिकार प्रभावित हैं, यह निर्धारित करने के उद्देश्यों के लिए प्रासंगिक तारीख नहीं है कि क्या निर्धारित समय के भीतर शक्ति का प्रयोग किया गया है।

13. जहाँ तक वह पक्ष जो आदेश या निर्णय से प्रभावित है, उसके खिलाफ अपना उपाय मांगने के लिए, उसे इस तरह के आदेश के पारित होने के बारे में जागरूक किया जाना चाहिए। इसलिए अदालतों ने समान रूप से कानून के नियम के रूप में निर्धारित किया है कि उपचार की मांग के लिए सीमा उस तारीख से शुरू होती है जिस दिन आदेश उसे सूचित किया गया था या जिस तारीख को इसे ऐसी परिस्थितियों में घोषित या प्रकाशित किया गया था कि इससे प्रभावित पक्षों को आदेश पारित करने और इसमें क्या शामिल है, यह जानने का उचित अवसर मिले। इस तरह के निर्णय से प्रभावित पक्ष का ज्ञान, या तो वास्तविक या रचनात्मक, इस प्रकार एक आवश्यक तत्व है जिसे संतुष्ट किया जाना चाहिए, इससे पहले कि निर्णय को समाप्त और बाध्यकारी कहा जा सके। अन्यथा इससे प्रभावित पक्ष के पास आदेश का पालन करने या उसके अनुरूप कार्य करने या इसके खिलाफ अपील करने या अन्यथा इसे अलग करने का कोई साधन नहीं होगा।

ऐसा कहने के बाद, न्यायालय ने इस प्रकार निर्णय दिया:-

"18. इस प्रकार यदि वैधानिक प्रावधान का इरादा या अभिकल्पना प्रतिकूल रूप से प्रभावित व्यक्ति के हितों की रक्षा करना था, तो आदेश या निर्णय के खिलाफ उपचार प्रदान करके ऐसे उपाय को लागू करने के संदर्भ में निर्धारित सीमा की किसी भी अवधि को आदेश के संचार की तारीख से

शुरू होने के रूप में पढ़ा जाएगा। लेकिन यदि किसी सक्षम प्राधिकारी के लिए उस शक्ति के प्रयोग की तारीख को आदेश देना एक सीमा है और अधीनस्थ अधिकारियों के आदेशों पर स्वतः संज्ञान लेने की शक्ति के प्रयोग के मामले में, जिस तारीख को आदेश देकर ऐसी शक्ति का प्रयोग किया गया था, वह सीमा निर्धारित करने के लिए प्रासंगिक तिथियां हैं। इस भेद का अनुपात इस सिद्धांत पर भी आधारित हो सकता है कि सरकार अपने अधिकारियों की कार्यवाही से बाध्य है लेकिन प्रभावित व्यक्ति निर्णय से तय नहीं होते हैं।

21. ऐसा कहने के बाद, तीन-न्यायाधीशों की पीठ ने राय दी कि धारा 35-ई अधिनियम के तहत अपनी शक्तियों का प्रयोग करने वाले प्राधिकरण की बाढ़ की श्रेणी के तहत आती है। बोर्ड को, जैसा कि राजस्व द्वारा तर्क दिया गया है, अर्ध-न्यायिक कार्यवाही के लिए दो पक्षों में से एक के बराबर करना सही नहीं है। न्यायालय ने आगे कहा कि धारा 35-ई के तहत अधीक्षण की शक्ति एक वरिष्ठ प्राधिकारी को यह सुनिश्चित करने के लिए प्रदान की गई है कि अधीनस्थ अधिकारी अधिनियम के तहत अपनी शक्तियों का सही और उचित रूप से प्रयोग करें और इसलिए, बोर्ड को कलेक्टर के समक्ष अर्ध-न्यायिक कार्यवाही के लिए दो पक्षों में से एक के साथ और धारा 35-ई के तहत बोर्ड के अधिकार के साथ एक पीड़ित निर्धारिती द्वारा अपने पूर्वाग्रह के लिए पारित आदेश से अपील के अधिकार

के प्रयोग के लिए बराबरी करना सही नहीं है, और इसलिए, जब ऐसी शक्ति के प्रयोग के लिए एक समय सीमा प्रदान की जाती है, जिसका उपयोग उस आदेश की तारीख से निर्दिष्ट अवधि के भीतर किया जाना चाहिए जिस पर पुनर्विचार करने की मांग की गई थी। इस प्रकार की टिप्पणी के बाद, न्यायालय ने आगे कहा:-

"... इसके विपरीत बने रहना असंगत होगा और निम्नलिखित कारणों से अधिनियम के प्रशासन में अनिश्चितताएं भी पैदा होंगी। ऐसा प्रतीत होता है कि अधिनियम में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है जिसके तहत कलेक्टर द्वारा बोर्ड को दिए गए सभी आदेशों का अनुमोदन करने की आवश्यकता हो। यदि वास्तव में ऐसी प्रथा या कानून में आवश्यकता है, तो आदेश की तारीख से एक वर्ष की अवधि उपयुक्त मामलों में कार्रवाई सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त से अधिक है, विशेष रूप से एक निर्धारिती के पास अपने अपील के अधिकार का प्रयोग करने के लिए बहुत कम अवधि की तुलना में। यदि, दूसरी ओर, ऐसी कोई आवश्यकता या प्रथा नहीं है और जिस अवधि के भीतर बोर्ड हस्तक्षेप कर सकता है, वह इस बात पर निर्भर करने के लिए छोड़ दिया जाता है कि बोर्ड को किसी समय किसी विशेष आदेश के अस्तित्व के बारे में पता चल जाए, चाहे वह कितना भी दूर क्यों न हो, केवल प्रशासनिक अराजकता का परिणाम हो सकता है। इसलिए, हमारी राय है कि अधिनियम की धारा 35-ई की उप-धारा (3) के

तहत निर्धारित एक वर्ष की अवधि को इसका शाब्दिक अर्थ दिया जाना चाहिए और इसलिए इसका अर्थ लगाया जाना चाहिए कि बोर्ड का आक्षेपित निर्देश उसमें निर्धारित सीमा की अवधि से परे था और इसलिए अमान्य और अप्रभावी था।

22. उक्त निर्णय को उसके उचित संदर्भ में समझना होगा। विचार के लिए जो मुख्य मुद्दा उठा वह अधिनियम की धारा 35-ई (3) के तहत निर्धारित एक वर्ष की अवधि की गणना के उद्देश्य से प्रासंगिक तिथि तक था। वर्ष 1984 से संबंधित मामले में विवाद और प्रावधान अलग थे। उस समय धारा 35 (3) इस प्रकार है: -

"35(3). न्यायनिर्णायक प्राधिकारी के निर्णय या आदेश की तारीख से एक वर्ष की समाप्ति के बाद उप-धारा (2) की उप-धारा (1) के तहत कोई आदेश नहीं दिया जाएगा।

धारा 35-ई (4) की उप-धारा (4) में प्रावधान किया गया है कि उप-धारा (1) या (2) के तहत न्यायनिर्णायक प्राधिकारी को आदेश भेजे जाने की तारीख से तीन महीने की अवधि के भीतर अपील दायर की जानी चाहिए। न्यायालय ने इस तथ्य पर ध्यान दिया है कि विधानमंडल द्वारा राजस्व को दी गई अवधि एक वर्ष थी जो उचित मामलों में उचित कार्रवाई करने के लिए पर्याप्त से अधिक है, जबकि बहुत कम अवधि के भीतर निर्धारिती को अपने अपील के अधिकार का प्रयोग करना पड़ता है।

न्यायालय ने प्रशासनिक अराजकता पर जोर दिया जिसके परिणामस्वरूप एक और अवधि दी गई और तदनुसार राय दी कि वैधानिक प्रावधान को एक शाब्दिक अर्थ दिया जाना था। जैसा कि ध्यान देने योग्य है, वित्त अधिनियम, 2008 द्वारा किया गया संशोधन, मुख्य आयुक्तों की समिति को निर्णय या आदेश के संचार की तारीख से तीन महीने के भीतर एक आदेश पारित करने की आवश्यकता थी। तीन महीने की यह अवधि अधिनियम की धारा 35-8 में निर्धारित तीन महीने की अवधि के समान है। यह ध्यान देने योग्य है कि अधिनियम की धारा 35-ई की उप-धारा (4), हालांकि, अधिकार प्रदान करती है और निर्णय लेने वाले प्राधिकारी या निर्णय लेने वाले अधिकारी को निर्णय या आदेश की तारीख से एक महीने की अवधि के भीतर अपील दायर करने के लिए अधिकृत करती है। प्रावधान में यह भी निर्धारित किया गया है कि यदि निर्णय या आदेश के खिलाफ ऐसा आवेदन किया जाता है, तो धारा 35 की उप-धारा (4) के प्रावधान सहित अधिनियम के प्रावधान जहां तक हो सके ऐसे आवेदनों पर लागू होंगे। हम लाभ के साथ नोट कर सकते हैं कि धारा 35 की उप-धारा (4) के लागू होने के बारे में शर्त हमेशा मौजूद रही है। हालांकि, वित्त अधिनियम, 2008 द्वारा तीन महीने की अवधि निर्धारित करने वाले संशोधन के साथ इसकी प्रासंगिकता, प्रयोज्यता और महत्व में बदलाव आया।

23. इस प्रकार, अधिनियम की योजना के अनुसार, अधिनियम की धारा 35-8 (5) की उप-धारा (4) अपीलीय न्यायाधिकरण को प्रासंगिक अवधि की समाप्ति के बाद अपील स्वीकार करने या क्रॉस आपत्तियों के ज्ञापन को दाखिल करने की अनुमति देने के लिए अधिकृत करती है यदि न्यायाधिकरण संतुष्ट है कि उस अवधि के भीतर अपील प्रस्तुत नहीं करने के लिए पर्याप्त कारण था। जैसा कि पहले कहा गया है, धारा 35-बी की उप-धारा (4) के तहत शक्ति अधिनियम की धारा 35-ई के तहत निर्धारित प्रशासनिक प्रक्रिया का पालन करने वाली पसंदीदा अपीलों पर लागू की गई है। जैसा कि हम पाते हैं कि 1984 में जो वैधानिक स्थिति थी, उसमें वित्त अधिनियम, 2008 के तहत किए गए संशोधन से बदलाव आया है। परिवर्तित परिस्थितियों में, अधिनियम की धारा 35-ई की उप-धारा (1) और (2) के तहत आदेश पारित करने के बाद की अवधि के लिए धारा 35-ई की उप-धारा (4) के प्रावधानों के आवेदन को प्रतिबंधित और बाधित करना उचित नहीं होगा। हम यह सोचने के लिए इच्छुक हैं कि वित्त अधिनियम, 2008 द्वारा किए गए संशोधन के कारण, विधायिका ने प्रभावी रूप से धारा 35-ई की उप-धारा (3) के तहत निर्धारित सीमा की अवधि को अधिनियम की धारा 35-ई के तहत मुख्य आयोगों की समिति के लिए निर्धारित अवधि के बराबर कर दिया है। इससे पहले, यानी वित्त अधिनियम, 2005 से पहले, विधायिका ने बोर्ड या मुख्य आयुक्तों की समिति को एक लंबी अवधि की सीमा निर्धारित की थी जो दो साल या

एक साल हो सकती है। बोर्ड या मुख्य आयुक्तों की समिति को दी गई उक्त विस्तारित अवधि या रियायत को वित्त अधिनियम, 2008 द्वारा वापस ले लिया गया था। राजस्व के लिए उपलब्ध एकमात्र रियायत एक महीने की अतिरिक्त अवधि है। अनुमोदन के संबंध में अभिधारणाएं, जैसा कि हम समझते हैं, मूल्यांकनकर्ताओं के पक्ष में हैं क्योंकि अधिदेश यह है कि मुख्य आयुक्तों की समिति अपील दायर करने की सिफारिश करने से पहले अपने दिमाग का उपयोग करेगी, क्योंकि तुच्छ और अनावश्यक अपील दायर नहीं की जाती हैं। वास्तव में, अनुचित और अयोग्य अपील दायर करने से रोकने के लिए प्रावधान लागू किया गया है। साथ ही, यह एक ऐसी प्रक्रिया भी तैयार करता है जिसके द्वारा राजस्व के नुकसान के खिलाफ सुनिश्चित पारदर्शिता और निष्पक्षता होती है और एक गलत निर्णय बिना किसी चुनौती के चलता है। उस स्थिति में, यह उपयुक्त राजकोषीय सिद्धांत के पीछे की मौलिक पवित्रता को प्रभावित करेगा, जो सुशासन का एक अविभाज्य हिस्सा है।

24. इस बात में कोई संदेह नहीं हो सकता है कि बोर्ड/मुख्य आयुक्तों की समिति द्वारा धारा 35-ई के तहत पारित आदेश या लिया गया निर्णय आदेश या निर्णय की तारीख है। यह किसी विवाद या पक्षों के अधिकारों का निर्धारण करने वाला अर्ध-न्यायिक आदेश नहीं है, क्योंकि इसमें कोई निर्णय नहीं होता है। हम पहले ही उस परंतुक का उल्लेख कर चुके हैं जिसे

वित्त अधिनियम, 2014 द्वारा धारा 35-ई की उप-धारा (3) में जोड़ा गया है, जिसमें यह निर्धारित किया गया है कि बोर्ड के पास उप-धारा (1) और (2) के तहत आदेश पारित करने का समय 30 दिनों की अवधि तक बढ़ाने की शक्ति है। हम सोचने के लिए तैयार हैं क्योंकि यह स्पष्ट है कि विधायिका इस तथ्य से अवगत है कि अधिनियम की धारा 35-ई में निर्धारित समय सीमा और प्रक्रिया के बावजूद अपील दायर करने में देरी हो सकती है और इसलिए, धारा 35-बी (4) को अधिनियम की धारा 35-ई के तहत आवश्यक अनुमोदन/मंजूरी/निर्देश के बाद वरीयता प्राप्त अपीलार्थियों पर लागू किया गया है। अवधि में कमी ने अपीलों के बीच समानता और सुसंगति सुनिश्चित की है, एक निर्धारिती द्वारा पसंद की गई और दूसरी राजस्व द्वारा पसंद की गई। एकमात्र बात यह है कि राजस्व द्वारा पसंद की जाने वाली अपील अधिनियम की धारा 35-ई में उल्लिखित शर्तों की संतुष्टि के बाद होनी चाहिए। यह कल्पना करना मुश्किल है कि वित्त अधिनियम, 2008 द्वारा लाए गए संशोधन के बाद विधायी इरादा राजस्व या राज्य को नुकसान में डालना है। विधायिका का इरादा यह नहीं है कि राजस्व को ऐसी अपील को प्राथमिकता देने से रोका जाए जो सीमा द्वारा वर्जित है या अपील को प्राथमिकता देने में देरी को पर्याप्त कारण दिखाए जाने पर भी माफ नहीं किया जा सकता है। यदि ऐसी व्याख्या 2008 के संशोधन के बाद की जाती है, तो यह प्रतिकूल होगी और विधायी इरादे के अनुरूप नहीं होगी जो स्पष्ट है कि धारा 35-बी (4) उन अपीलों पर लागू की गई है

जिन्हें धारा 35-ई के तहत प्रदान किए गए तंत्र का सहारा लेने के बाद प्राथमिकता दी जाती है।

25. जैसा कि पहले कहा गया है, हमें वित्त अधिनियम, 2014 द्वारा धारा 35-ई की उप-धारा (3) में जोड़े गए परंतुक का विज्ञापन करना चाहिए। उक्त परंतुक का एक अलग उद्देश्य है। यह बोर्ड को उप-धारा (1) और (2) के तहत आदेश पारित करने का समय 30 दिनों तक बढ़ाने का अधिकार देता है। एक बार जब बोर्ड द्वारा परंतुक के तहत उक्त शक्ति का प्रयोग करते हुए एक आदेश पारित कर दिया जाता है, तो निर्दिष्ट अवधि के लिए देरी की माफी की मांग करने वाला आवेदन दायर करने की कोई आवश्यकता और जरूरत नहीं होगी, जो 30 दिनों से अधिक नहीं हो सकती है। वित्त अधिनियम, 2014 द्वारा उक्त परंतुक को सम्मिलित करना धारा 35-ई द्वारा विधायी जनादेश को नकारता नहीं है और इसके विपरीत नहीं है क्योंकि यह उक्त परंतुक को शामिल करने से पहले या बाद में मौजूद था।

26. विद्वान वकील ने सीमा शुल्क और केंद्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्त बनाम होंगो इंडिया प्राइवेट लिमिटेड और अन्य में निर्णय के लिए हमारी सराहना की है। उक्त मामले में, न्यायालय धारा 35-एच पर विचार कर रहा था जो उच्च न्यायालय में संदर्भ दाखिल करने की सीमा से संबंधित है। उक्त प्रावधान की विशिष्ट भाषा को ध्यान में रखते हुए, जिसमें केवल 180 दिनों की अवधि या संदर्भ दाखिल करने के लिए कोई और अवधि प्रदान

नहीं की गई थी, यह अभिनिर्धारित किया गया था कि अवधि विस्तार योग्य नहीं है, बल्कि पूर्ण है और उस संदर्भ में यह अभिनिर्धारित किया गया था कि सीमा अधिनियम की धारा 5 लागू नहीं होगी। इस प्रकार, उक्त मामले में प्राधिकरण विशिष्ट है। यह ध्यान दिया जाए कि 1.7.1999 से केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम की धारा 35-एच में उप-धारा 3 ए को शामिल करने से उक्त स्थिति बदल गई है।

27. इस मोड़ पर, हम मानते हैं कि मोनेट इस्पात एंड एनर्जी लिमिटेड (उपरोक्त) में न्यायाधिकरण के पूर्ण पीठ के फैसले को संदर्भित करना उचित है। उक्त मामले में, प्रावधानों की व्याख्या करते हुए, न्यायाधिकरण की पूर्ण पीठ ने निम्नलिखित निष्कर्ष दर्ज किया है:-

'न्यायाधिकरण के पास उक्त अधिनियम की धारा 35 ई (4) के तहत दायर अपील सहित अपील दायर करने में देरी को माफ करने की पर्याप्त शक्ति है। उक्त अधिनियम की धारा 35 ई (4) के तहत अपील दायर करने के संबंध में जिस अवधि को माफ किया जा सकता है, उसमें उक्त अधिनियम की धारा 35 ई (1) या 35 ई (2) के संदर्भ में समीक्षा समिति द्वारा ली गई अवधि शामिल होगी। जहां तक धारा 35 ई (4) के संदर्भ में विभाग द्वारा की गई अपीलों का संबंध है, वे उक्त धारा की उप-धारा (1) या उप-धारा (2) के तहत आदेश के संचार की तारीख से एक महीने के भीतर दायर की जानी चाहिए, लेकिन न्यायनिर्णायक प्राधिकारी द्वारा समीक्षा

समिति को आदेश के संचार की तारीख से चार महीने से अधिक नहीं होनी चाहिए। यदि इस संबंध में कोई देरी होती है, तो धारा 35 बी (5) के तहत शक्तियों के प्रयोग में इसे माफ किया जा सकता है, इस तरह की देरी के लिए पर्याप्त कारण के बारे में संतुष्ट होने पर और देरी को माफ करने की शक्ति में अपील दायर करने के बारे में निर्णय लेने के लिए समीक्षा समिति द्वारा धारा 35 ई (1) या (2) के तहत ली गई अवधि शामिल होगी।

28. हमारी सुविचारित राय में, पूर्ण पीठ द्वारा किया गया विश्लेषण पिछले पैराग्राफ में हमारे द्वारा व्यक्त की गई राय को देखते हुए सही है और तदनुसार हम उक्त दृष्टिकोण को सही मानते हैं। हम लाभ के साथ यह नोट करने के लिए बाध्य हैं कि विवादित आदेश द्वारा एल. आई. एस. का निर्णय करने वाले सदस्यों को खुद को न्यायाधिकरण के पूर्ण पीठ के फैसले से अवगत रखना चाहिए था ताकि एक ही प्रस्ताव के संबंध में दो विचार न हों।

29. नतीजतन, अपील की अनुमति दी जाती है, न्यायाधिकरण द्वारा पारित आदेश को दरकिनार कर दिया जाता है और मामले को अपने गुण-दोष के आधार पर देरी को माफ करने के लिए आवेदन पर विचार करने के लिए उसे भेज दिया जाता है। लागत के बारे में कोई आदेश नहीं होगा।

निधि जैन

अपील को मंजूरी दी गई

यह अनुवाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल "सुवास" के जरिये अनुवादक कैलाश पूनिया की सहायता से किया गया है ।

अस्वीकरण - यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी आधिकारिक एवं व्यवहारिक उद्देश्यों के लिए उक्त निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा एवं निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्कारण ही मान्य होगा।